उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-5/2015/वे0आ0-2-122/दस-35(एम)/2008

लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अध्ययन/विश्लेषण तथा अन्य वांछित कार्यवाही के सम्पादन हेतु कार्यालय-ज्ञाप संख्या-वे0आ0-2-370/दस-2008, दिनांक 20 अगस्त, 2008 द्वारा 27 नि:संवर्गीय पदों का सृजन किया गया। कार्यालय-ज्ञाप संख्या-वे0आ0-2-2088/दस-35(एम) 2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 द्वारा गठित मुख्य सचिव समिति के सहयोग हेतु कार्यालय-ज्ञाप संख्या-वे0आ0-2-2110/दस-35(एम) 2008, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 द्वारा उक्त 27 नि:संवर्गीय पदों में से 07 नि:संवर्गीय पदों का कार्यकाल दिनांक 29 फरवरी, 2012 तक के लिए बढाया गया। कार्यालय-ज्ञाप संख्या-वे0आ0-2-139/दस-35(एम)/2008, दिनांक 24 फरवरी, 2014 द्वारा उक्त 07 नि:संवर्गीय पदों का कार्यकाल दिनांक 28 फरवरी, 2015 तक के लिए बढ़ाया गया। उक्त 07 नि:संवर्गीय पदों की आवश्यकता विभाग में बनी हुई है। अत: राज्यपाल महोदय निम्नांकित सभी 07 नि:संवर्गीय पदों की निरन्तरता दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक के लिए यदि इसके पूर्व ही इन पदों को समाप्त न कर दिया जाय, बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0)	पद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वरिष्ठ शोध अधिकारी (नि:संवर्गीय)	वेतन बैण्ड-3 एवं 6600	01
2	शोध अधिकारी (नि:संवर्गीय)	वेतन बैण्ड-3 एवं 5400	01
3	अपर सांख्यिकीय अधिकारी (नि:संवर्गीय)	वेतन बैण्ड-2 एवं 4600	04
4	लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष (नि:संवर्गीय)	वेतन बैण्ड-2 एवं 4600	01

2- उपर्युक्त पदों के पदधारकों को सम्बन्धित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते एवं सुविधाएं, जो भी समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत किये जायें, देय होंगे।

3- उपर्युक्त सृजित पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आयोजनेत्तर-105 विशेष जॉच आयोग-03 राज्य आयोग और समितियॉ-01-वेतन समिति का गठन" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या–5/2015/वे0आ0-2-122(1)/दस-35(एम)/2008, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं दितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (सेवायें) अनुभाग-1
(5) वित्त (सेवायें) अनुभाग-4
(6) इरला चेक अनुभाग।
(7) लेखाकर-कम-कोषाध्यक्ष, कार्यालय मुख्य सचिव समिति (02 प्रतियों में)।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
(9) सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1/2/5/6

आज्ञा से,

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।